56

न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

समक्ष

एस०एस०अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : 10-2/482/1996- निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 30-3-1996 - पारित व्दारा - आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्र०क्र० 196/1992-93 निगरानी

गंगा तनय काशी मुड़हा निवासी ग्राम
शाह तहसील अमरपाटन, जिला सतना ---आवेदक

विरूद्ध

रामबहोर तनय रामसिया मुड़हा निवासी
ग्राम शाह तहसील अमरपाटन ,जिला सतना ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री अभिताभ चतुर्वेदी)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 10- 07 -2018 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्र०क्र० 196/1992-93 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-3-1996 के विरूद्ध म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन के समक्ष आवेदन देकर बताया कि वह ग्राम शाह का निवासी है और ग्राम शाह की आराजी नंबर 309/2 रकबा 0-50 डि. आबादी भूमि उसकी है जिसमें उसका एंव आवेदक के अलावा जमुना रामसिया सुखलाल के पुस्तैनी मकान बराबर हिस्से में बने है। इस मकान के अलावा उसके पास अन्य रहवास नहीं है इसलिये ग्राम शाह की आराजी नंबर 309/2 रकबा

0-50 डि. का पटटा वासस्थान दखलकार अधिनियम के अंतर्गत दिया जाय। अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन ने प्रकरण क्रमांक 48 अ-74/89-90 पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनॉक 16-12-1989 पारित करके आवेदन निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध कलेक्टर जिला सतना के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। कलेक्टर जिला सतना ने प्रकरण क्रमांक 13 अ-74/91-92 में पारित आदेश दिनांक 31-5-1993 से अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन का आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण पुनः जांच एंव सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित कर दिया। कलेक्टर जिला सतना के आदेश के विरूद्ध आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्र०क्र० 196/1992-93 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-3-1996 से निगरानी अस्वीकार की । आयुक्त रीवा संभाग के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि निगरानी याचिका धारा 7 वास स्थान दखलकार अधिनियम के अंतर्गत मानकर निगरानी अधिकारिता के बिन्दु पर खारिज करने में आयुक्त ने भूल की है जबकि कानूनी कर्तव्य था कि यदि निगरानी की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं था तो समुचित माननीय निगरानी न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस करना थी इसलिये आयुक्त का आदेश दोषपूर्ण होने से निरस्त किया जाय तथा कलेक्टर जिला सतना का प्रकरण क्रमांक 13 अ-74/91-92 में पारित आदेश दिनांक

31-5-1993 भी दोषपूर्ण होने से निरस्त किया जावे।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव म०प्र०वास स्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम 1980 के अवलोकन से परिलक्षित है कि इस अधिनियम की धारा 6 एंव 7 में इस प्रकार व्यवस्था दी गई है :-

धारा 6 – म0प्र0लैण्ड रेवेन्यू कोड 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 56 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, उस आदेश के जो प्राधिकृत अधिकारी व्दारा पारित किया गया है, विरूद्व अपील जिले के कलेक्टर को होगी।

धारा 7 – पुनरीक्षण – कलेक्टर व्दारा पारित किया गया आदेश अंतिम होगा सिवाय इसके कि राजस्व मण्डल किसी भी समय स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार व्दारा आवेदन किये जाने पर, किसी ऐसे आदेश को जो कलेक्टर व्दारा पारित किया गया है, बैधता या उसके औचित्य के बारे में अथवा प्राधिकृत अधिकारी की कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिये किसी ऐसे मामले का, जो ऐसे अधिकारी के समक्ष लंबित है या ऐसे अधिकारी व्दारा निपटवाया जा चुका है, अभिलेख मंगा सकेगा और उसकी परीक्षण कर सकेगा।

स्पष्ट है कि कलेक्टर व्दारा पारित आदेश के विरूद्व निगरानी सुनने की अधिकारिता आयुक्त को नहीं है जिसके कारण आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 196/1992-93 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-3-1996 में दोष नहीं है। जहां तक कलेक्टर जिला सतना व्दारा प्रकरण क्रमांक 13 अ-74/91-92 में पारित आदेश दिनांक 31-5-1993 से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त कर प्रकरण पुन: जांच कार्यवाही हेतु प्रत्यावर्तित किये जाने का प्रश्न है ? अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पुर्नजांच कार्यवाही में सुनवाई के समय आवेदक को भीपक्ष प्रस्तुत करने का

अवसर प्राप्त है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में आवेदक को किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना उचित नहीं है।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्र०क्र० 196/1992-93 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-3-1996 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर